संख्या-13/2016/1478एस0सी0/18-2-16-75/14

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 नवम्बर, 2016

विषय- दि किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा जनपद बलिया के कर्मचारियों के देयों के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदान में स्वीकृत दि किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा जनपद बलिया के कर्मचारियों के देयों के भुगतान हेतु रू0 473.42 लाख (रूपया चार करोड़ तिहत्तर लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि आप कृपया वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-1 के पैरा-209 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर सहकारी चीनी मिल रसड़ा के कर्मचारियों के देयों के भुगतान हेतु तत्काल उपलब्ध कराएँ।

2- उक्त धनराशि उसी कार्य के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

3- इस आदेश द्वारा स्वीकृत ऋण की शर्ते निम्नानुसार होंगी:-

- ऋण की वापसी ब्याज सहित 10 वर्ष की अवधि में की जाएगी।
- ब्याज की दर 15 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा नियमित भुगतान किए जाने की दशा में 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इस प्रकार नियमित भुगतान की दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (साढ़े ग्यारह प्रतिशत) होगी।
- मूलधन के प्रतिदान की पहली किश्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय हो जाएगी। मूलधन का प्रतिदान 10 बराबर किश्तों में किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- ब्याज की पहली किश्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय हो जाएगी। ब्याज का ऑगणन शासनादेश जारी होने की तिथि से किया जाएगा। मूलधन का प्रतिदान होने के साथ-साथ मूलधन के घटते शेष पर ब्याज का ऑगणन सम्पूर्ण वर्ष के लिए किया जाएगा।

4- उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

5- संघ द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान किया जाए या उनके द्वारा ब्याज जमा किया जाये, महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजें:-

(1) कोषागार का नाम-

(2) चालान संख्या तथा दिनांक-

(3) जमा धनराशि किश्त ब्याज

(4) लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज

(5) शासनादेश संख्या और एस0एल0आर0 का सन्दर्भ

(6) पिछले जमा का सन्दर्भ

6- चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

7- भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगें।

8- इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/ महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

9- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की "अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-आयोजनेत्तर-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज-04-सहकारी चीनी मिल रसड़ा के कर्मचारियों के देयों के भुगतान हेतु कर्ज-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जाएगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-बी-4-169 /दस-16 दिनांक 03 नवम्बर 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या-13/2016/1478(1)एस0सी0/18-2-16 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5- चीनी उद्योग अनुभाग-1/3
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।